



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 10, 1990/पौष 20, 1911  
No. 14] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 10, 1990/PAUSA 20, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अ. वेण

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1990

मा. को. वि. 15(अ) :—केन्द्रीय सरकार, स्वयंके आयोधि और मनः प्रभावी पदार्थ एवं व्यापार निषेध  
एवं अधिनियम 1988 (1988 का 46) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर  
है, भारत सरकार के अपर सचिव, श्री के. प्रकाश प्रसाद को उक्त धारा के प्रावधानों के लिए विशेष  
से सूचित करती है।

[का.सं. -820/2/90-नि.प्र.व्या. स्वा.]  
रमेश कुमार शर्मा सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

## ORDER

New Delhi, the 10th January, 1990

G.S.R. 15 (E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 10 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988), the Central Govt. hereby specially empowers Shri K. Prakash Anand, Additional Secretary to the Government of India, for the purposes of the said Section.

[F. No. 820/2/90-PITNDPS]  
RAMESH KUMAR, Under Secy.